HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5286/2026
CNR: RJHC020324662026 | URN: CRLMB / 9464U / 2026

Jay Trivedi S/o Shri Manoj Kumar Trivedi, Aged About 30 Years, R/o 388-B, Gali No. 4, Rati Talai, District Banswara, Rajasthan. (Presently Confined At Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

The Union of India (CBN), Through The Special Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ajatshatru Mina, Adv. with Ms. Apeksha Tiwari, Adv. Mr. Anurag Sharma, Adv. and Ms. Rhythm Shrimal, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Tej Prakash Sharma, SPP with Mr. Vaibhav Jhankara, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

<u>Order</u>

1.	**Arguments Concluded On:**	**11/08/2026**
2.	**Order Reserved On:**	**11/08/2026**
3.	**Full Order/Operative Part Pronounced:**	**Full Order**
4.	**Pronounced On:**	**18/08/2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 01/2026 अपराध अंतर्गत धारा 8/22, 29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या फंसाया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से पार्सल बरामद नहीं हुआ है, ना ही उसने संबंधित पार्सल प्राप्त किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को स्वयं के धारा 67 एन.डी.पी.एस. अधिनियम में दिये गये बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। तोफान सिंह बनाम तमिलनाडू राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार धारा 67 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत दिया गया बयान साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है और धारा 37 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधानों को कठोरता से लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मादक पदार्थों का अनन्य कब्जा प्रार्थी/अभियुक्त का नहीं रहा है। पार्सल डाक घर में प्राप्त हुआ था, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त अपने घर पर था। यह स्पष्ट नहीं है कि पार्सल प्रार्थी/अभियुक्त को डिलीवर होना था या उसने मंगवाया था। विदेशी डाक घर जयपुर में फ्रांस से आये पार्सल से 0.480 ग्राम LSD ब्लॉट्स व 4.110 ग्राम मेथाक्वालोन पाया गया। बरामदशुदा मेथाक्वालोन लघु मात्रा की श्रेणी में आता है और जो LSD जब्त हुआ है, उसका वजन केवल मादक पदार्थ का है या कागज (ब्लोटर पेपर) सहित है, यह स्पष्ट नहीं है। LSD तरल पदार्थ है, जिसे कागज पर डालकर सेवन किया जाता है। प्रकरण में जब्त मादक पदार्थ LSD की पेपर रहित कितने ग्राम मात्रा है और जब्त मादक पदार्थ LSD है या नहीं, इसके लिए नमूना जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि उक्त मादक पदार्थ LSD है या नहीं, इसका निर्धारण वे नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में प्रकरण को निदेशक, केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली को परीक्षण हेतु भेजा गया है, लेकिन बार–बार पत्र जारी किये जाने के बावजूद भी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट नहीं आ रही है। प्रार्थी/अभियुक्त

दिनांक 07.02.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है, अनिश्चित काल तक उसे न्यायिक अभिरक्षा में रखना उसके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। प्रार्थी/अभियुक्त 30 वर्षीय वयस्क है, उसका विवाह दिनांक 10.02.2026 को तय हुआ था तथा उसका काफी सामान पार्सल से आ रहा था। इस प्रकार से दिनांक 05.02.2026 को भी पार्सल आया, लेकिन वह पार्सल प्रार्थी/अभियुक्त के नाम से नहीं आया, वरन् रोहन दीक्षित के नाम से आया था। उक्त पार्सल प्रार्थी/अभियुक्त ने प्राप्त नहीं किया था। पार्सल विदेशी डाक घर, जयपुर में प्राप्त हुआ था। पार्सल पर अंकित मोबाईल नंबर से उत्पन्न संदेह के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में कोई स्वतंत्र व समवर्ती साक्षी अन्वेषण अधिकारी द्वारा नहीं जुटाया गया है। उक्त पार्सल को भेजे जाने के संबंध में प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई आदेश दिया हो, यह साबित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के धारा 67 एन.डी.पी.एस. अधिनियम में लिये गये बयान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के विरुद्ध हैं। प्रार्थी/अभियुक्त ने डार्क वेब बिटकॉईन संव्यवहार के माध्यम से माल मंगवाया हो, यह स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत कियेः–

1. Mihir Rajesh Shah Versus State of Maharashtra & Anr.; 2025 INSC 1288.

2. Dr. Rajinder Rajan Versus Union of India & Anr.; SLP(Crl.) No(s). 3326/2026; order dated 01.04.2026.
3. Vihaan Kumar Versus State of Haryana & Anr.; (2025) 5 SCC 799.
4. Prabir Purkayastha Versus State (NCT of Delhi); (2024) 8 SCC 254.
5. Pankaj Bansal Versus Union of India & Ors.; (2024) 7 SCC 576.
6. Ashish Kakkar Versus UT of Chandigarh; Criminal Appeal No. 1518/2025; order dated 25.03.2025.
7. Ahmed Mansoor and Others Versus State Rep. By, Assistant Commissioner of Police and Another....; 2025 SCC Online SC 2650.
8. Marfing Tamang @ Maaing Tamang Versus State (NCT of Delhi); 2025:DHC:672; Order Dated 04.02.2025
9. Kshitij Ghildiyal Versus Director General of GST Intelligence, Delhi.; 2024 SCC Online Del 8949.
10. Pranav Kuckreja Versus State (NCT of Delhi); 2024 SCC Online Del 9549.
11. Jhabra Ram Versus State of Rajasthan; S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 4778/2026; order dated 18.05.2026.
12. Shivam Chaurasiya Thru. His Brother Mr. Manas Chaurasiya Versus State of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. of Home Affairs Lko. and others; Habeas Corpus Writ Petition No 47/2026; order dated 10.02.2026.
13. Brijesh Kothia Versus State NCT of Delhi; Bail Appln. No. 439/2026; order dated 13.05.2026.
14. Yogesh Chand Aggarwal Versus CBI; 2nd Bail Application No. 164/2025; order dated 17.12.2025.
15. Sabu Versus State of Kerala; 2026 SCC Online Ker 3839.
16. Saqlain Raza Khan Versus State (NCT of Delhi); 2026 SCC Online Del 1142.
17. Sujit Sarkar and Ors. Vs. The State of Tripura; MANU/TR/0006/2026.
18. Ariful Hoque Versus State of Assam; 2026 SCC Online Gau 1931.
19. Shahid Khan etc. Versus Director of Revenue Intelligence Govt. of India Hyderabad & Anr.; 2001 SCC Online AP 1161.

20. Najmunisha Versus State of Gujrat & Anr with other Connected Matters; 2024 SCC Online SC 520.
21. Bharat Chaudhary Versus Union of India; (2021) 20 SCC 50.
22. Jasbir Singh Versus Narcotics Cantrol Bureau; Bail Appln. No. 1120/2022; order dated 13.01.2023.

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि दिनांक 06.02.2026 को केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, जयपुर के निवारक दल द्वारा कार्यालय उप/सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, विदेशी डाक घर, जयपुर जी.पी.ओ., एम.आई. रोड़, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 05.02.2026 की सूचना पर कार्यवाही करते हुए फ्रांस से भेजे गये पार्सल से LSD ब्लॉट्स कुल संख्या 20 व कुल वजन 0.480 ग्राम और मेथाक्वालोन कुल वजन 4.110 ग्राम दिनांक 06.02.2026 को बरामद किये गये। धारा 67 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत दिये गये बयान में प्रार्थी/अभियुक्त ने अपराध स्वीकार किया है। पार्सल पर दर्ज पता रोहन दीक्षित, गली नंबर 5, रति तलाई, बांसवाड़ा, राजस्थान पाया गया। पार्सल पर अंकित मोबाईल नंबर के आधार पर निवारक दल प्रार्थी/अभियुक्त के मकान पर पहुंचा, जहां उसने अपना अपराध स्वीकार किया। प्रार्थी/अभियुक्त ने Tor Browser का इस्तेमाल कर Torzon व तीन अन्य Mirror Platform पर अपनी आई.डी. बनाकर Mentoss Vendor से अवैध नशीले पदार्थों का पार्सल मंगवाया है और अपने ICICI बैंक खाते से उसका भुगतान किया है। प्रकरण में बरामदशुदा LSD की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत कियेः—

1. Vijay Meena Vs State of Rajasthan & Ors.; S.B. Criminal Writ Petition No. 770/2026; Order Dated 10.04.2026

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली व प्रस्तुत विनिश्चयों का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के अनुसार फ्रांस से एक पार्सल प्राप्त होने पर केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, जयपुर को सूचना मिलने पर उन्होंने उक्त पार्सल को खोलकर देखा, तो उसमें 20 ब्लॉट्स पारदर्शी जिप लॉक थैली में प्राप्त हुए और एक हल्के गुलाबी भूरे रंग का दानेदार पदार्थ एक अन्य पारदर्शी जिप लॉक थैली में प्राप्त हुआ। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, जयपुर के निवारक दल ने अपने अनुभव से LSD (Lysergic Acid Diethylamide) ब्लॉट के तौर पर पायी। उक्त LSD के 20 ब्लॉट्स के पत्तों का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वजन करने पर 0.480 ग्राम पाया गया और अन्य हल्के गुलाबी भूरे रंग के दानेदार पदार्थ मेथाक्वालोन होना पाया गया, जिसका वजन मय बारदाना 4.110 ग्राम होना पाया गया। उक्त पार्सल पर बांसवाड़ा का पता पाया गया, जिसके आधार पर केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का निवारक दल बांसवाड़ा गया और वे पार्सल पर अंकित मोबाईल नंबर के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के घर पर पहुंचे, तो घर पर कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। प्रार्थी/अभियुक्त की धारा 67 एन.डी.पी.एस. अधिनियम की सूचना के आधार पर केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने यह पाया कि मादक पदार्थ प्रार्थी/अभियुक्त ने ICICI बैंक से भुगतान करके फ्रांस से मंगवाया है। अनुसंधान के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि दिनांक 05.02.2026 एक और पार्सल प्राप्त हुआ था, जिस पर प्राप्तकर्ता के रूप में जय त्रिवेदी की माता बिन्दु देवी के हस्ताक्षर थे। प्रकरण में प्रश्नगत पार्सल पर जो मोबाईल नंबर पाया गया, वह मोबाईल नंबर प्रार्थी/अभियुक्त के पिता मनोज कुमार त्रिवेदी के नाम पर होना पाया

गया। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि पार्सल पर रोहन दीक्षित का नाम पाया गया, वह प्रार्थी/अभियुक्त का नाम नहीं था और उक्त पार्सल पर अंकित मोबाईल नंबर भी प्रार्थी/अभियुक्त का नहीं था। यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त के पिता ने अपने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान में यह कथन किया है कि उक्त मोबाईल नंबर का उपयोग उसका पुत्र प्रार्थी/अभियुक्त करता था, लेकिन इस साक्षी की विश्वसनीयता का अवधारण विचारण के दौरान ही स्पष्ट हो सकता है। रोहन दीक्षित छद्म नाम का उपयोग प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किया जाता था या नहीं, यह भी साक्ष्य की विषयवस्तु है। जहां तक MDMA का प्रश्न है, तो बरामदशुदा MDMA की मात्रा 4.110 ग्राम पायी गयी है, जो लघु मात्रा बतायी गयी है। वस्तुतः LSD ब्लॉट्स में LSD का कुल वजन 0.480 ग्राम है या नहीं तथा यदि है तो वह वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। Hitesh Hemant Malhotra Vs. State of Maharashtra; 2020 Supreme (Bom) 1030 विनिश्चय में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने LSD पेपर्स के 23 पेपर्स, वजन 0.4128 मिलीग्राम को वाणिज्यिक मात्रा 0.1 ग्राम से कम बताया है। इस प्रकरण में LSD ब्लॉट की कुल संख्या 20 व कुल वजन 0.480 ग्राम होना बताया गया है। उक्त वजन में ब्लॉट्स (पेपर) का वजन कितना था व मादक पदार्थ का वजन कितना था, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। LSD की मात्रा व कागज की मात्रा को पृथक–पृथक अंकित नहीं किया गया है। प्रकरण में जब्त मादक पदार्थ LSD है या नहीं तथा उसकी मात्रा कितनी है, इस संबंध में प्रकरण में जब्त मादक पदार्थ जांच के लिए नीमच की प्रयोगशाला में भेजा गया था, जिसके नमूने के संबंध में यह अंकित किया गया है किः–

> *"Presence of Lysergic acid diethytamide (LSD) could not be ascertained in the sample...."*

ऐसी स्थिति में नीमच (मध्यप्रदेश) की प्रयोगशाला में प्रकरण में जब्त मादक पदार्थ LSD होना अभिनिर्धारित नहीं हुआ है। प्रकरण में जब्त मादक पदार्थ LSD है या नहीं और यदि है तो कितनी मात्रा में है, इसका अभिनिर्धारण करने के लिए नमूने को केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली भेजा गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निदेशक, केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला को प्रेषित पत्र क्रमांक 1433 दिनांक 06.06.2026, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा निदेशक, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को प्रेषित पत्र क्रमांक 599 दिनांक 06.06.2026 तथा अनुसंधान अधिकारी, कार्यालय निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, जयपुर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 848 दिनांक 24.07.2026 व 892 दिनांक 03.08.2026 के बावजूद अभी तक निदेशक, केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा कोई रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर यह स्पष्ट नहीं होता है कि इस प्रकरण में जब्त मादक पदार्थ LSD है या नहीं और यदि है तो उसकी कितनी मात्रा है।

माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चय Hitesh Hemant Malhotra Vs. State of Maharashtra (उपरोक्त) के पैरा संख्या 8, 9 व 11 को यहां उद्धरित किया जाना न्यायोचित होगा :—

> *"8. I have perused the First Information Report, Recovery Panchanamas and Chemical Analysers report. At the' outset, it may be stated that the most common form of LSD is drop of LSD solution dried onto piece of paper or gelatin sheet, pieces of blotting papers which releases the drop when swalloed/consumed. In this case, drug was found in the form of drops dried onto 23 pieces of papers. Thus, process of drying LSD solution on a piece of paper, merely facilitates consumption of drug. This process neither changes the substance of the drug*

or its chemical composition. It is argued by the State, that since dried LSD drops of LSD solution, cannot be segregated or separated from the papers, it amounts to a 'mixture' and therefore the weight of the paper is to be counted with 'LSD dots' for determining the quantity of drug which was more than 0.1 gram. The learned APP relies on Entry-239 of the Table and Footnote-(4) appended thereto of the NDPS Act. Entry No.239 and Footnote-(4) reads as under :

> *239. Any mixture or preparation that of with or without a neutral material, of any of the above drugs. Lesser of the Small quantity between the quantities given against the respective narcotic drugs or psychotropic substances mentioned above forming part of the mixture.*
>
> *Lesser of the Commercial quantity between the quantities given against the respective narcotic drugs or psychotropic substances mentioned above forming part of the mixture."*
>
> *"4. The quantities shown in column 5 and column 6 of the Table relating to the respective drugs shown in column 2 shall apply to the entire mixture or any solution or any one or more narcotic drugs or psychotropic substances of that particular drug in dosage form or isomers, esters, ethers and salts of these drugs, including salts of esters, ethers and isomers, wherever existence of such substance is possible and not just its pure drug content."*

9. In my view, though after swallowing piece of paper, which causes release of drug but since that paper only carries drug and facilitates its consumption, the paper with LSD drops, as a whole, is neither "preparation", within the meaning of Section 2(xx), nor a mixture within " " the meaning of the NDPS Act. So far as the judgment of the Hon'ble Apex Court in the case of

Hira Singh (supra) is concerned, issue therein was, whether mixture of narcotic drug or psychotropic substances with one or more neutral substances, quantity of neutral substances can be excluded while determining the small or commercial quantity of narcotic drug and psychotropic substances. However herein, the papers containing dried LSD drops of LSD solution, not being a mixture, and the paper being not a neutral substance, judgment of the Apex Court, has no application to the facts of this case."

"11. Thus, in consideration of the facts of the case, the findings of the learned Judge that weight of the paper containing dried LSD drops of LSD solution is required to be accounted while determining its quantity; whether small or otherwise is incorrect. In this case, the Chemical Analyser's report, shows quantity of LSD drops solution was 0.4128 milligrams, which was below 0.1 gm of commercial quantity. Therefore, rigors of Section 37 of the NDPS Act, are not applicable to the facts of this case."

इस प्रकरण में जब्त मेथाक्वालोन की मात्रा लघु मात्रा है तथा जब्तशुदा अन्य मादक पदार्थ LSD है या नहीं और यदि है तो उसमें LSD की मात्रा कितनी है और पेपर की मात्रा कितनी है, यह स्पष्ट नहीं है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, नीमच (एम.पी.) ने इस संबंध में यह अभिनिर्धारित नहीं किया है कि प्रकरण में जब्त मादक पदार्थ LSD है या नहीं। इसकी जांच के लिए नमूना केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया है, जिसके संबंध में बार–बार पत्राचार किये जाने के बावजूद भी 2.5 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.02.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **जय त्रिवेदी पुत्र मनोज कुमार त्रिवेदी** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP (Criminal) No. 04/2021 In Re Policy Strategy for Grant of Bail & SLP (Cri.) No. 529/2021 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को सूचित करने हेतु इस आदेश की प्रति संबंधित कारागृह को जरिये ईमेल प्रेषित की जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/Res.